

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक—प्र० / NBPDCCL—58 / 2024—  
सेवा में,

/पटना, दिनांक—

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय :— नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन 74 अद्द 33 के०भी० फीडर को ए०सी०एस०आर० वुल्फ कंडक्टर से आर० एण्ड एम० करने हेतु 135.67 करोड़ (एक सौ पैंतीस करोड़ सड़सठ लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1** के अंतर्गत विमुक्त की गयी राशि में से वित्तीय वर्ष 2026—27 में 33.00 करोड़ (तैंतीस करोड़) रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश—स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या—4951 दिनांक—19.12.2024 द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन 74 अद्द 33 के०भी० फीडर को ए०सी०एस०आर० वुल्फ कंडक्टर से आर० एण्ड एम० करने हेतु 135.67 करोड़ (एक सौ पैंतीस करोड़ सड़सठ लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024—25 में 41.00 करोड़ (इकतालीस करोड़) रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अब तक 50.00 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है। पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० द्वारा **Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27** के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी राशि में से 33.00 करोड़ रुपये की मांग की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के द्वारा ऊर्जा प्रक्षेत्र के लिए **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1** के अंतर्गत स्वीकृत राशि 1500.00 करोड़ रुपये में से प्रथम किश्त के रूप में 990.00 करोड़ रुपये विमुक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत यह योजना भी सम्मिलित है।

3. उक्त आलोक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन 74 अद्द 33 के०भी० फीडर को ए०सी०एस०आर० वुल्फ कंडक्टर से आर० एण्ड एम० करने हेतु 135.67 करोड़ (एक सौ पैंतीस करोड़ सड़सठ लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा **Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1** के अंतर्गत विमुक्त की गयी राशि में से वित्तीय वर्ष 2026—27 में 33.00 करोड़ (तैंतीस करोड़) रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि मांग सं०—10, मुख्य शीर्ष 4801—बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष—190—सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य

उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष-0107 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801051900107 विषय शीर्ष 54.01-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से वित्त विभाग के स्तर पर Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1 के अन्तर्गत खोले गये SNA Account आई०सी०आई०सी०आई० बैंक, बोरिंग रोड, पटना के खाता सं०-040401016029 एवं IFSC Code-ICIC0000404 में हस्तांतरित की जायेगी।

6. उक्त राशि का व्यय Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27 Under Part-1 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/NBPDCL-58/2024 के पृष्ठ संख्या-09/टि० पर दिनांक-03.12.2024 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/NBPDCL-58/2024 के पृष्ठ संख्या-32/टि० पर दिनांक-05.08.2026 को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/NBPDCL-58/2024-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/NBPDCL-58/2024-

4164

/पटना, दिनांक- 05.08.2026

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग(तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।